न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 16/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/21**

1. जीत सिंह दत्तक पुत्र श्री श्याम कौर धर्मपत्नी स्व. श्री देवाराम जाति बावरी निवासी 6 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्ण
2. प्रताप
3. दर्शन

} पिसरान श्री बहादरराम

4. मुख्त्यार कौर पत्नी श्री नानक सिंह
5. सुखा सिंह
6. सुखदेव सिंह

} पिसरान श्री नानक सिंह

} अकवाम् बावरी निवासीयान 6 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद अभिभाषक अपीलांट
श्री बहादुरराम सुथार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6

निर्णय

दिनांक 12.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, रायसिहनगर के आदेश दिनांक 29.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 6 पीटीए तहसील रायसिंहनगर की 3.162 हैक्टयर भूमि श्यामकौर पत्नी श्री देवाराम के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट को श्रीमती श्याम कौर ने मरने से काफी समय पूर्व गोद लिया हुआ था। परन्तु गोदनामें की तहरीर नहीं हुई थी। इसलिए दिनांक 18.05.1996 को तहरीर हुई जिसका पंजीयन उपपंजीयक रायसिंहनगर में पंजीयन करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिहंनगर ने देवाराम की वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2011 जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर उक्त अपीलांट की अपील को क्षेत्राधिकार नही होने पर वापस लौटा दी। तत्पश्चात अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिहंनगर के आदेश दिनांक 29.12.2011 की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में श्यामा कौर पत्नी देवाराम के नाम दर्ज थी। अपीलांट श्यामा कौर का गौद पुत्र है। अपीलांट के पक्ष में श्यामा कौर द्वारा दिनांक 18.05.1996 को सबरजिस्ट्रार रायसिंहनगर के कार्यालय में उक्त गौदनामा तस्दीक व पंजीबद्ध कराया हुआ हैं। मूल रूप से सम्पूर्ण भूमि देवाराम के नाम से दर्ज थी, जिन्होने तथाकथित वसीयत रेस्पोडेन्ट के हक में दिनांक 07.02.1990 को करनी बताई है। उक्त वसीयत सन्देहास्प्रद की श्रेणी में आती हैं क्योकि उसमें अपने जायज व कानूनी वारीसान को सम्पति हस्तान्तरित ना की जाकर, अपने द्वितीय पत्नी के गेलड सन्तानों को दिया गया है। उक्त वसीयत विधिवत पंजीबद्ध भी नही है। इस कारण भी उक्त वसीयत सिविल न्यायालय में जाकर साक्ष्य की मौहताज है। विचारण न्यायालय ने ऐसी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के हक में नामांतरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये है जो कतई गलत है। क्योकि किसी अपंजीकृत वसीयत एवं संदेहास्प्रद वसीयत के आधार पर कानूनी रूप से जायज एवं कानूनी उत्तराधिकारीयों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति है जिन्हे की गहराईयों का ज्ञान नहीं होता है। उन्हे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2011 के विरूद्ध प्रथम अपील एडीएम गंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय मिली जिस पर अपीलांट ने जानकारी से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 21.07.2014 को प्रस्तुत कर दी जो माननीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के विन्दू पर दिनांक 26.11.2021 को अपीलांट को लौटा दी। तत्पश्चात तुरन्त ही दिनांक 16.12.2001 को लोटाई गई अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्तुत कर दी गई। इस प्रकार जानकारी के दिन से एवं गलत विधिक राय के कारण गलत न्यायालय में व्यय हुए समय का कम करने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.12.2011 का निरस्त फरमाया जाकर स्व. देवाराम के जायज व कानूनी वारीसान के नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमायें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि देवाराम पुत्र पताराम बावरी के नाम से कृषि भूमि चक 6 पीटीडी(ए) तहसील रायसिंहनगर पत्थर नं. 235/358 तादादी 3.162 हैक्टयर व 234/359 मे तादादी 3.036 हैक्टयर कुल तादादी 6.198 हैक्टयर भूमि रिकॉर्ड दर्ज थी। देवाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी श्याम कौर को तालाक दे दिया। देवाराम ने अपनी पत्नी श्याम कौर को तालाक देने के बाद दूसरी पत्नी महल कौर से शादी कर ली थी। जिसके साथ चार बच्चे क्रमशः कृष्ण, प्रताप, नानक , दर्शन आये। श्याम कौर जिसके कोई संतान नहीं थी व देवाराम की मृत्यु 17.05.1992 को हो गई थी। देवाराम की पूर्व पत्नी श्याम कौर ने तालाक लेने के वाद अपीलांट को गौद पुत्र रूप में दिनांक 18.05.1996 को गौद लिया है। जिसमे जीत सिंह की माता व पिता द्वारा जीत सिंह को गौद नहीं दिया है। जीत सिंह श्याम कौर का भतीजा है। व नाबालिक था। गौदनामा अपने बड़े भाई लालसिंह से गौद लेना वताया है। अपीलांट की अपील पूर्णतय मियाद बाहर पेश की गई। जिसमें देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है। अपील मियाद विन्दू के आधार पर निरस्त योग्य हैं वसीयत जो दिनांक 07.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

02.1990 को रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में की गई है। वह वैध वसीयत को किसी भी सिविल न्यायालय में चैलेज नही किया गया है। वसीयत किसी भी पक्ष में की जा सकती है व वसीयत का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। रेस्पोडेंन्ट के पक्ष में की गई वसीयत बैध वसीयत है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादीत किये गये हैं। अपील अपीलांट गुणवागुण पर भी खारिज किये जाने योग्य है। जीतसिंह का गौदनामा देवाराम की मृत्यु के बाद का है व श्याम कौर को तालाक देने के बाद का है। गौदनामा वैध नही हैं। अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 29.12.2011 ने अपीलांट्स की वादगत भूमि देवाराम पुत्र फताराम द्वारा की गई वसीयत 07.02.90 के अनुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर ने उक्त निर्णय इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.2010 के क्रम में जारी किया है। इस न्यायालय ने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के आदेश दिनांक 28.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय में कोई त्रुटि नही मानते हुए प्रकरण को जांच एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय करने का आदेश पारित किया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर ने ना तो संबंधित हल्का पटवारी से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त की और ना ही प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में पुनः एकतरफा आदेश पारित किया हैं। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2011 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर